

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 355 सन 2022

अनवान :-

1. विनोद पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. शान्ती पत्नी बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. मीरा पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. गुडडी उर्फ इन्द्रावती पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. धर्मा उर्फ धर्मला पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. प्रताप पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. कालुराम पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 7/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 417/375 की कुल 4.8070 हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1637/78070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 687/48070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 8154/24035 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 व वादी का 3221/24035 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 164/164 की कुल 0.2530 हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 13/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ,6 व वादी प्रत्येक का 13/96 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो पूर्व में उनके पूर्वज बुद्धारा पुत्र मुलाराम व मुलाराम पुत्र अरजन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने एव प्रतिवादी संख्या 1 एव बुद्धराम पुत्र मुलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की माता /बहने है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बुद्धराम पुत्र मुलाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी


उप अधिकारी

संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 417/375 की कुल 4.8070हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1637/78070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 687/48070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 8154/24035 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 व वादी का 3221/24035 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 164/164 की कुल 0.2530हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का 13/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ,6 व वादी प्रत्येक का 13/96 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो पूर्व में उनके पूर्वज बुद्धारा पुत्र मुलाराम व मुलाराम पुत्र अरजन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं बुद्धराम पुत्र मुलाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 417/375 की कुल 4.8070हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1637/78070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 687/48070 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 8154/24035 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 व वादी का 3221/24035 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 164/164 की कुल 0.2530हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का 13/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ,6 व वादी प्रत्येक का 13/96 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

बण्ड अधिकारी
नोहर


वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 417/375 की कुल 4. 8070हैक् भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0. 026हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 164/164 की कुल 0. 2530हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विनोद पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्ती पत्नी बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. मीरा पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. गुडडी उर्फ इन्द्रावती पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. धर्मा उर्फ धर्मला पुत्री बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. प्रताप पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. कालुराम पुत्र बुद्धराम जाति मेधवाल निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 355 सन 2022 निर्णय दिनांक- 7/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 417/375 की कुल 4.8070 हैक् भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में से 0.026 हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 164/164 की कुल 0.2530 हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर